

मूल निवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र

कोर्ट फीस स्टाम्प
2/- रूपयाप्रार्थी का फोटो
(पासपोर्ट साईज)(उत्तरदायी व्यक्ति से
फोटो सत्यापित करावे)

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड

I

1. प्रार्थी का नाम

2. पिता/पति का नाम

3. वर्तमान स्थायी पता

4. पिता/पति का मूल स्थान

5. पिता/पति का व्यवसाय

6. पिता/पति के व्यवसाय का पता

7. जन्म स्थान

8. जन्म दिनांक

9. आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की :-

कक्षा	वर्ष	शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान
1 से 9			
10 वीं			
12 वीं			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
अन्य			

किसी भी एक साक्ष्य पर सही का निशान लगावें और उससे सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करें :-

क्र. सं.	साक्ष्य	साक्ष्य हेतु संलग्न दस्तावेज
1.	राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो.	● माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान-पत्र या ● लगातार 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान-पत्र या ● 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण-पत्र व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान-पत्र
2.	उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक वर्षों से मकान हो और यदि उनका मकान हो और यदि उनका मकान कहीं अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप में अंगीकृत करते हो.	● माता/पिता का मूल निवास प्रमाण-पत्र व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान-पत्र या ● लगातार 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान-पत्र या ● 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण-पत्र व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान-पत्र
3.	वह या उसके माता-पिता 10 वर्षों या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/ रहे हो और उसे सिद्ध करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा.	● माता/पिता का मूल निवास प्रमाण-पत्र व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान-पत्र या ● लगातार 10 वर्षों का किरायानामा व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान-पत्र या ● 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण-पत्र व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान-पत्र
4.	उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी हैं और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हैं। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसने राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो.	● पति का मूल निवास प्रमाण-पत्र व चुनाव पहचान-पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान-पत्र तथा विवाह प्रमाण-पत्र
5.	राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वयं या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP) के लिए लागू नहीं होगा)	● पिता/पति के राजकीय उपक्रम में 03 वर्ष पदस्थापित रहने का प्रमाण-पत्र व चुनाव पहचान-पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान-पत्र

10. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान

11. क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति/का नाम है हाँ नहीं

12. आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है

13. मोबाईल नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से सम्बन्धित सूचना चाहता है)

II

महिला के लिए :-

1. क्या आप विवाहित है ?
2. आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?
3. क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है
4. आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही है

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

दिनांक

स्थान

प्रार्थी के हस्ताक्षर

घोषणा (स्व सत्यापित)

(बालिग होने की दशा में)

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

राजस्थान का हूँ व घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा/रही हूँ।
3. यह है कि मेरी समस्त शिक्षा की है।
4. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
5. यह है कि मैं यह घोषणा-पत्र अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

घोषणा (स्व सत्यापित)

(नाबालिग होने की दशा में)

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

राजस्थान का हूँ व घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री है, जो नाबालिग है इस कारण से यह घोषणा-पत्र मैं अपनी और से पेश कर रहा हूँ जिसकी आयु करीबन वर्ष है।
3. यह है कि मेरे उक्त पुत्र/पुत्री का जन्म में ही हुआ है।
4. यह है कि मेरा पुत्र/पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी कर रहा है।
5. यह है कि मैंने उपरोक्त का मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
6. यह है कि मेरे को अपने पुत्र/पुत्री का मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

घोषणा (स्व सत्यापित)

(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं पत्नी श्री

निवासी

राजस्थान की हूँ व घोषणा करती हूँ कि :-

1. यह है कि मैं विवाह पश्चात् उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
2. यह है कि मेरे पति श्री राजस्थान के मूल निवासी है।
3. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
4. यह है कि मैं यह घोषणा-पत्र अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

1.

में

पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी

राजकीय सेवा पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक
बयान करता हूँ कि प्रार्थी /प्रार्थिया श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री

निवासी

को भली भांति जानता हूँ यह वर्षों से उक्त निवास जिला राजस्थान में
निवास कर रहा / रही है।

(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

2.

में

पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी

राजकीय सेवा पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक
बयान करता हूँ कि प्रार्थी /प्रार्थिया श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री

निवासी

को भली भांति जानता हूँ यह वर्षों से उक्त निवास जिला राजस्थान में
निवास कर रहा / रही है।

(हस्ताक्षर द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करें :-

1. आवेदक के दो नवीनतम फोटो जिसमें से एक फोटो आवेदन-पत्र पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें) तथा दूसरी फोटो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें।
2. संबंधित शपथ-पत्र। (शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)
3. साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावेज।
4. उत्तरदायी व्यक्ति (संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस) का प्रमाण पत्र जिस पर उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।

-: स्व घोषणा :-

राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं /बोर्ड/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं में सेवाओं के लिये, रोजगार की मांग के लिये और राजस्थान राज्य में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु स्वयं द्वारा घोषणा।

यह अधोलिखित घोषणा, सेवाओं, रोजगार की मांग के लिये और प्रवेश लेने हेतु आवेदन-पत्र के अन्त में शामिल किया जायेगा।

प्रार्थी का फोटो
(पासपोर्ट साईज)

मैं पुत्र/पुत्री श्री

उम्र वर्ष निवासी

ग्राम/शहर तहसील जिला राजस्थान का/की/हूँ

एवं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त लिखी एवं संलग्न दस्तावेजों में दिया गया ब्यौरा/जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और जिसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

मैं इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि उक्त लिखित एवं संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी सत्य नहीं होने पर अथवा गलत साबित होने पर कानून के अनुसार सजा का हकदार होऊंगा इसके अलावा मेरे द्वारा उठाये गये सभी लाभ वापस ले लिये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
(घोषणाकर्ता)

कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन जाँचकर्ता की रिपोर्ट :-

1. प्रार्थी द्वारा भरा विवरण। (महिलाओं के लिए I & II) सही एवं पूर्ण है। हाँ / नहीं
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्नक पूर्ण एवं सही है। हाँ / नहीं

यदि नहीं तो विशेष विवरण :-

.....
.....

प्रस्तुत शपथ - पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को मूल निवास दिया जाना उचित है / अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है। आवेदन - पत्र पर आपत्तियाँ

.....

मूल निवास जारी करने हेतु आदेश :-

हस्ताक्षर लिपिक

1. प्रस्तुत शपथ - पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर मूल निवास जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।
2. आवेदन-पत्र हस्ताक्षर अपूर्ण होने के कारण / अन्य कारण

.....

खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर अधिकारी